न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 09 / 19-20

मो0 इस्हाक,
ग्राम– गुमो, झुमरी तिलैया,
जिला–कोडरमा।

13/07/2019	आवेदक मो0 इस्हाक, ग्राम– गुमो, झुमरी तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि केवाला सं0– 2275 दिनांक– 11.04.1977 से प्राप्त मौजा– गुमो, थाना नं0– 12, खाता नं0– 98, प्लॉट नं0– 2177, रकवा– 0.04 एकड भूमि की जमाबन्दी पंजी– ।। के भोलूम सं0– 6, पृष्ठ सं0 175 पर मो0 हकीम पिता शेख रोजन के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर इनका दखल–कब्जा है। उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी ।। पर दर्ज था, जो वर्तमान में फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि का नया जमांबदी दर्ज करते हुए अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त आवेदन के आलोक में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन /अंचल नाजीर /अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 28/08/19 को उपस्थापित करें। 13/07/19 **अंचल अधिकारी** **कोडरमा**
28/08/19	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/ अंचल अमीन /अंचल नाजीर /प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन में राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक मो0 इस्हाक, पिता– स्व0 रोजन शेख द्वारा मौजा– गुमो, थाना नं0– 12, खाता नं0– 98, रकवा– 0.04 एकड भूमि की जमाबन्दी दर्ज कर रसीद निर्गत करने हेतू आवेदन दिया गया है। मौजा– गुमो का पंजी– ।। का भोलूम सं0– 6 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। आवेदक द्वारा अंतिम लगान रसीद वर्ष 2007–08 दिया गया है। प्रस्तुत लगान रसीद मौजा– गुमो, खाता सं0–98 भूमि रैयती खाते की है। स्थानीय लोगों द्वारा अपना हस्ताक्षर किया गया है। अमीन मापी के पश्चात जमाबंदी दर्ज किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के उपस्थिति में स्थल जाँच के क्रम में संबंधित भूमि पर पक्का मकान एवं कच्चा मकान बना हुआ पाया। आवेदक द्वारा संबंधित भूमि का राजस्व प्रमाण स्थल पर प्रस्तुत किया गया जिसमें केवाला सं0– 2275 दिनांक– 11.04.77 द्वारा मो0 हकीम पिता– शेख रोजन के नाम से मौजा– गुमो के खात सं0– 98, प्लॉट सं0– 2177, रकवा– 0.04 एकड़ भूमि क्रय किया गया है। इस संदर्भ में आवेदक द्वारा ऑनलाईन में दर्ज करने हेतू अनुरोध किया गया है। अतः केवालाधारी के नाम से उक्त भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी प्रविष्ट किया जा सकता है।

अंचल नाजीर द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि लगान भंडार पंजी में रसीद सं0– 814757 दिनांक 22.08.2007 दर्ज पाया।

प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा किया गया है कि हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।

संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि अमीन मापी के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा– गुमो, थाना सं0– 12, के पंजी– II के पृष्ठ सं0– 175 भोलूम सं0– 6 पर खाता नं0– 98, प्लॉट नं0– 2177, रकवा– 0.04 ए0 बीबी बकरीदन पति शेख रोजन के नाम से जमाबंदी दर्ज किया जा सकता है।

अतः उक्त भूमि को ऑनलाईन दर्ज करने से संबंधित आम इस्तहार कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

आम इस्तहार हस्ताक्षरीत।

अभिलेख दिनांक 11/09/2019 को उपस्थापित करें।

(signature) 2/08/19

अंचल अधिकारी
कोडरमा

11/09/2019
08/11/19

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार तामिला प्राप्त। किन्ही के द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी II का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.2016 से दिशा निदेश प्राप्त है।

Scanned with CamScanner

अतः संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल अमीन / अंचल नाजीर / प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा– गुमो, थाना नं0– 12, खाता नं0– 98, प्लॉट नं0– 2177, रकवा– 0.04 ए0 भूमि का ऑनलाईन जमाबन्दी मो0 हकीम, पिता– शेख रोजन के नाम से दर्ज करने हेतू संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक को आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश से यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अभिलेख की कार्रवाई को **बंद** की जाती है।

अंचल अधिकारी
कोडरमा

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
कोडरमा

Scanned with CamScanner